NT>

Title: Regarding the order for voluntary retirement issued to the workers by the Management of the Fertilizer Corporation of India, Gorakhpur, Uttar Pradesh.

श्री राजनारायण पासी (बांसगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, फर्टिलाइजर कोरपोरेशन ऑफ इंडिया, गोरखपुर कारखाने के प्रबंधनतंत्र ने कर्मचारियों के लिये वी.आर.एस का परिपत्र जारी किया है जिसमें तमाम तरह की विसंगतियां हैं। उस कारखाने के 450 कर्मचारी नवयुवक हैं जिसमें 200 कर्मचारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं जिनकी नियुक्ति बैकलॉग के आधार पर हुई थी। जो परिपत्र जारी किया गया है उसमें लिखा है कि जिनकी नौकरी की आयु 30 र्वा या उससे अधिक है, उन्हें लाभ मिलेगा लेकिन जिनकी आयु 30 र्वा से कम है, उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उन्हें अन्यत्र समायोजित करने का काम किया जाये। इसके अलावा वी.आर.एस खुला रखा जाये कि जो उसे लेना चाहे, लें और जो न लेना चाहें न लें। परिपत्र में यह भी कहा गया है कि जो कर्मचारी वी.आर.एस. लेगा, उसका पैसा उसे तब दिया जायेगा जब वह मकान खाली कर देगा। मेरी सरकार से मांग है कि उन्हें इसके बाद एक माह का समय दिया जाये।